न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/2022, जिला सीकर

1. प्रमोद पुरी पुत्र स्व. श्री मोहनलाल पुरी, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं. 14, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. मुकेश पुरी पुत्र स्व. श्री मुरली मनोहर पुरी, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं. 14, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। हाल निवासी 4–ज–25, जवाहरनगर, जिला जयपुर

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्री दानाराम पुत्र श्री रूधाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम ढाणी देहरादूदा श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. श्री रामगोपाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं.–13, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्टस

4. (दौराने अपील मृतक आदेश दिनांक 16.11.2022) श्रीमति विमला धर्मपत्नी स्व. श्री मुरली मनोहर
5. श्री सन्दीप पुरी पुत्र स्व. श्री मुरली मनोहर,
6. श्रीमति सुलेखा पुत्री स्व. श्री मुरली मनोहर,
7. श्रीमति गीता पुत्री स्व. स्व. श्री मोहनलाल,
8. श्रीमति शारदा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल,
9. श्रीमति मंजु पुत्री स्व. श्री मोहनलाल,
10. श्रीमति उषा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल,
11. श्रीमति रेखा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल
12. समस्त निवासी श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 12.03.2022 (अपील संख्या 1/2022 उनवानी दानाराम बनाम राज. सरकार व अन्य) जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2333 पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर का पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 20.12.2021 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 2333 दिनांक 10.12.2021 बहाल किया गया।

उपस्थित–

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार, रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री नरेन्द्र कुमार यादव, रेस्पोडेन्ट नं. 2
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3
5. श्री दीपेन्द्र सिंह, रेस्पोडेन्ट नं. 5 से 11

निर्णय

दिनांक –05.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.03.2022 के खिलाफ दिनांक 6.5.2022 को प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि विवादित भूमि दानाराम, रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके पूर्व खातेदार रामगोपाल से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 को क्रय की थी। क्रय शुदा

Scanned with OKEN Scanner

भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा जांचकर दिनांक 9.12.2021 को नामान्तरकरण भरा जाकर मुताबिक जांच के आधार पर दिनांक 10.12.2021 को कैम्प थोई में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा तस्दीक किया गया था। जिसके आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी जमाबन्दी में दानाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज की गई थी। जिसके पश्चात तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया था जिसको अपास्त कर दिया। दानाराम, रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2022 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामा. सं. 2333 पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 20.12.2021 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि नामा0 2333 तन ग्राम श्रीमाधोपुर आदेश दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 457 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा व 455/2 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि पूर्व में महोदव पुत्र भेभराज की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जो सम्वत 2008 से 2027 की जमाबंदी में नियमानुसार महादेव पुत्र भेभराज की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जो सम्वत 2008 से 2027 की जमाबन्दी में नियमानुसार महादेव की स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर में से पंचायत समिति श्रीमाधोपुर हेतु 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्त की जाकर उसका नवीन खसरा नम्बर 454/4 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कायम किया गया तथा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि शंकर ऑयल मील को प्रदान की गई जिसका नवीन खसरा नम्बर 457/2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कायम किया गया तथा 10 बिस्वा भूमि क्रय–विक्रय सहकारी संघ लि. को प्रदान की गई जिसका नवीन खसरा नम्बर 457/3 नम्बर कायम किया गया तथा शेष बची 14 बिस्वा कायम किया जाकर पूर्णी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नारायण उर्फ रामनारायण के पैतृक स्वामित्व में शेष रही। उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 457/1 रकबा 14 बिस्वा भूमि को श्रीमति पूर्णी देवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट संख्या 1 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 11 के पिता स्व. श्री मोहनलाल पुरी को विधिवत बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया जिसके बाबत भोलाराम जिसके नाम उक्त जमीन अवैध रूप से भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान अंकित हो गयी थी ने भी अलग से एक सादा पेपर पर 99 रूपये प्राप्त कर दिनांक 2078–1961 को अपनी स्वतंत्र सहमति प्रदान कर उक्त पंजिकृत विक्रय पत्र को स्वीकार किया है। अपीलांट संख्या 1 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस संख्या 7 लगायत 11 के पिता द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय की गई उपरोक्त वर्णित भूमि वर्ष 1961 से ही कृषि योग्य भूमि नहीं थी इसलिए उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्व. श्री मोहनलाल जी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया तत्पश्चात अपीलांट संख्या 1 व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 11 के पिता मोहनलाल जी ने अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित 14 बिस्वा भूमि को आवासीय/व्यावसायीक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण नीमकाथाना द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर सम्बन्धित विभागों से अनापत्तियॉं प्राप्त होने के पश्चात अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग सम्परिवर्तन नियम 1981 के अन्तर्गत वर्ष 1986 को उक्त 14 बिस्वा भूमि को आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कर उक्त

Scanned with OKEN Scanner

भूमि की 99 वर्ष की लीज विधिवत रूप से अपीलांट एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस के पिता श्री मोहनलाल व श्री मुरलीमनोहर पुरी के नाम पंजिकृत करवाकर उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण नीमकाथाना ने पंजिकृत करवाकर उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण नीमकाथाना ने पंजिकृत पट्टा विलेख दिनांक 22 जनवरी 1986 को लिख पट्टा संख्या 94 निष्पादित कर दिया। अपीलान्टस अपने हकपूवाधिकारियों के समय से उपरोक्त वर्णित भूमि को निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कतई असत्य कथन करते हुए अपीलान्टस एंव प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट के स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित सम्पति के विरूद्ध एक वाद दिनांक 4.2.1987 को मुंसिफ एव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग श्रीमाधोपुर के समक्ष घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत कर अपीलांट्स के हकपूर्वाधिकारी मोहनलाल एवं मुरली मनोहर के नाम जारी पट्टे संख्या 91 व 84 को निरस्त करने को अनुतोष चाहा उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.1992 को उक्त वाद निरस्त किया जा चुका है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की है और उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने वर्तमान भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर साबिका खसरा नम्बर 457/1 रकबा 14 बिस्वा से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 891 रकबा 0.16 हैक्टेयर व 892 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर की खातेदारी अवैध रूप से अपने नाम स्वीकृत करवा ली तथा राजस्व रेकार्ड में करवाये गये उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साजिश करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उक्त भूमि का आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने के आदेश एवं जारी किये गये पट्टों की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आपस में की गई उक्त साजिश के द्वारा निष्पादित करवाये गये फर्जी, कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार नीमकाथाना ने सरसरी तौर पर नामान्तरकरण संख्या 2333 दिनांक 10.12.2021 को स्वीकृत कर दिया किन्तु दिनांक 20.12.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार नीमकाथाना पदेन उप–पंजीयक नीमकाथाना व पटवारी हल्का ने विवादित खसरा नम्बर 891, 892 को मौका देख मौके पर उक्त भूमि का व्यावसायिक एवं प्रयोजनार्थ उपयोग होना पाये जाने एवं भू–रूपान्तरण होने आदि के दस्तावेज देखने के पश्चात तहसीलदार नीमकाथाना ने अपने अर्न्तनीहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए अवैध रूप से पंजीकृत किये गये विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2333 दिनांक 10.12.2021 को दिनांक 20.12.2021 को खारिज फरमा दिया जो पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसम्मत आदेश है जिसक विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से साजिश करते हुए अपीलान्टस एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस को पक्षकार संयोजित किये बिना ही कतई अवैध रूप से अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उक्त न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य एवं नामान्तरकरण पर अंकित रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट आदि पर अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना अपील स्वीकार कर प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 12.3.2022 को पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.3.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2333 दिनांक 10.12.2021 को खारिज किया जाकर आदेश दिनांक 20.12.2021 यथावत बहाल रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि के नये खाता संख्या 529 व पुराने खाता संख्या 464 के ख.नं. 391 रकबा 0.1600 है0 व ख.नं. 892 रकबा 0.0300 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.1900 है. तन ग्राम श्रीमाधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट द्वारा उसके पूर्व खातेदार रामगोपाल से जरिये विकय पत्र दिनांक 6.12.2021 को कय की थी। कय शुदा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा जांचकर दिनांक 9.12.2021 को नामान्तरकरण भरा जाकर मुताबिक जांच के आधार पर दिनांक 10.12.2021 को कैम्प कोर्ट थोई में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया था। जिसके आधार पर उक्त भूमि की

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी जमाबन्दी में अपीलार्थी के नाम दर्ज की गई थी। जिसके पश्चात तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दानाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया था जिसको अपास्त कर दिया। दानाराम, रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2022 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामा. सं. 2333 पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 20.12.2021 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि नामा0 2333 तन ग्राम श्रीमाधोपुर आदेश दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.3.2022 यथावत रखा जावें।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामगोपाल पुत्र रामनारायण ने अपने नाम खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 6.12.2021 को पंजिकृत विकय पत्र के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दानाराम पुत्र श्री रूधाराम को विकय की थी। पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 6.12.2021 के आधार पर पटवारी हल्का व गिदावर द्वारा जांचकर दिनांक 9.12.21 को नामान्तरकरण भरा जाकर मुताबिक जांच के आधार पर दिनांक 10.12.2021 को कैम्प थोई में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी जमाबन्दी में दानाराम रेस्पों संख्या 1 के नाम दर्ज की गई थी। जिसके पश्चात तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 20.12.2021 को नामान्तरकरण संख्या 2333 दिनांक 10.12.2021 निरस्त कर दिया गया। दानाराम, रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2022 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामा. सं. 2333 पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 20.12.2021 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि नामा0 2333 तन ग्राम श्रीमाधोपुर आदेश दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रकरण में नामान्तरकरण को तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.12.2021 को कैम्प थोई में स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 20.12.21 को पटवारी हल्का व जांच गिदावर मुताबिक मौका निरीक्षण प्रपत्र के पश्चात नामान्तकरण " भूमि नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किये जाने, दुकाने बनी हुई होने के कारण खारीज किया गया है। जबकि उक्त भूमि का विक्रय क्रेता व विक्रेता की सहमति से हुआ है। जिसका नामान्तरकरण एक विधिक प्रक्रिया है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण फैसल करने के बाद रिव्यू करने के बजाय अगर मौके पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि भूमि में किया जा रहा है एवं मौके पर कृषि भूमि नहीं थी तो विधिमान्य नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पृथक से कार्यवाही की जा सकती है । यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामगोपाल पुत्र रूधाराम की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का रामगोपाल पुत्र रूधाराम निर्विवाद खातेदार था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण खोला गया हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.12.2021 के आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 10.12.2021 को खोला गया। जिसके पश्चात तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दानाराम को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पटवारी हल्का व हल्का गिदावर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 को विकय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया था जिसको अपास्त कर दिया जिस बाबत दानाराम को सुनवाई हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामगोपाल

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र रामनारायण ने अपने नाम खातेदारी में अंकित विवादित वर्णित भूमि को दिनांक 6.12.2021 को पंजिकृत विक्रय पत्र के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दानाराम पुत्र रूधाराम को विक्रय की गयी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दानाराम विवादित भूमि के विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सद्भावी क्रेता (Bonafied Purchaser) है। जिनके नाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रश्नगत नामान्तरकरण 2333 दिनांक 10.12.2021 को स्वीकृत कर दिया था। प्रमोद पुरी व मुकेश न तो भूमि का विक्रेता है और न ही क्रेता हैं, के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पूर्व में तस्दीक नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10.12.2021 को रिव्यू कर निरस्त करने के खिलाफ रेस्पोडेन्ट की अपील में अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 12.03.2022 से तहसीलदार द्वारा पारित रिव्यू दिनांक 20.12.2021 निरस्त कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2021 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। वास्तविकता में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम 133 के तहत पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना एक बाध्यकारी प्रक्रिया मात्र है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding हैं, जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय से तय कराने हेतु चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner